राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 26/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लि0 शाखा कार्यालय–प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर

बनाम

1. श्री विजय यादव निवासी शाहपुरा रोड, पथवारी के पास, सांगानेर, भीलवाड़ा
2. श्रीमती आरती यादव निवासी शाहपुरा रोड, पथवारी के पास, सांगानेर, भीलवाड़ा

–– प्रार्थी

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री विक्रमादित्य वशिष्ठ।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी–वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लि0 शाखा कार्यालय–प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मैट्रो पिल्लर नं. 102 के सामने, सोडाला जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 9,50,000/– रूपये का ऋण दिनांक 31.07.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर जो भूमि व भवन अचल सम्पति – **श्री विजय यादव पुत्र सुखदेव की एक आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 5, दिनांक 16.06.2019 को ग्राम पंचायत पालड़ी पंचायत समिति सुवाणा, ग्राम छापरी खेडा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा पर पंजीबद्ध एवं स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1320 वर्ग फीट है जिसकी सीमाएं उत्तर–इसी जायदाद का शेष भाग, दक्षिण–सड़क 20 फीट, पूर्व–श्री गोपाल पुत्र बाबू ढोली एवं पश्चिम–श्री जगदीश पुत्र कानादास वैष्णव है** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 05.07.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 12,05,717/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 05.07.2022 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।